विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2025 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-36 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
36- (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के जनपद-उन्नाव, शुक्लागंज नगर में विद्युत कटौती का सुबह 5:00 से 7:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है?	जनपद-उन्नाव के शुक्लागंज नगर में 21:30 घण्टे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है जिसके अनुरूप माह अगस्त 2025 में प्रातः 07:00 बजे से 08:00 बजे तक एवं अपराह्न 01:30 बजे से 03:00 बजे तक विद्युत कटौती निर्धारित है। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत रात्रिकाल में सम्पूर्ण विद्युत आपूर्ति के अतिरिक्त दिन के समय रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है।
(ख) यदि हाँ, तो उक्त कटौती से नगर की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है?	उपरोक्तानुसार।
(ग) यदि हाँ, तो जनता की परेशानी को देखते हुये उक्त कटौती को समाप्त करायेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(घ) क्या उक्त फीडर एवं कटौती का रोस्टर/ समय सारणी सदन की मेज पर रखेगे?	जी हॉ। रोस्टर संलग्न है।
(ड़) यदि नहीं, तो क्यों?	उपरोक्तानुसार।

ए.के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री।

अधीक्षण अभियन्ता
(प्रणाली नियन्त्रण)

यू0 पी0 एस0एल0डी0सी0 लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
यू0पी0एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
Email Id: - sesc@upsldc.org

ई–मेल संदेश

संदेश संख्या एस–116/सभी कन्ट्रोल

दिनांक: 31.07.2025

प्रेष्य: अधिशासी अभियन्ता, ए0एल0डी0सी0, सारनाथ/लखनऊ/पनकी/मोदीपुरम कन्ट्रोल।

प्रदेश के समस्त तहसील मुख्यालयों एवं नगर पंचायतों को दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 31.08.2025 तक निम्नांकित समयानुसार विद्युत कटौती तथा शेष अवधि में विद्युत आपूर्ति की अनुमति प्रदान की जाती है।

कन्ट्रोल	जनपदों के नाम	तहसील मुख्यालय की विद्युत कटौती अवधि	नगर पंचायत की विद्युत कटौती अवधि
ए0एल0डी0सी0 सारनाथ, (पू0वि0वि0नि0लि0)	प्रयागराज, बलिया, भदोही, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, कुशीनगर, मऊ, सन्तकबीर नगर, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती, चन्दौली, फतेहपुर, गोरखपुर, कौशाम्बी, महाराजगंज, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, जौनपुर, प्रतापगढ़	प्रतिदिन 04:55–05:55 बजे एवं 13:30–15:00 बजे तक (कुल 2:30 घंटे) विद्युत कटौती।	प्रतिदिन 05:00–06:00 बजे एवं 12:30–14:00 बजे तक (कुल 2:30 घंटे) विद्युत कटौती।
ए0एल0डी0सी0 लखनऊ, (म0वि0वि0नि0लि0)	अम्बेडकरनगर, बहराइच, बाराबंकी, बदायूं, गोण्डा, लखीमपुरखीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव, अमेठी, बलरामपुर, बरेली, अयोध्या, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, श्रावस्ती, सुल्तानपुर	प्रतिदिन 05:00–06:30 बजे एवं 13:15–14:15 बजे तक (कुल 2:30 घंटे) विद्युत कटौती।	प्रतिदिन 07:00–08:00 बजे 13:30–15:00 बजे तक (कुल 2:30 घंटे) विद्युत कटौती।
ए0एल0डी0सी0 पनकी, (द0वि0वि0नि0लि0)	आगरा, अलीगढ़, औरैया, चित्रकूट, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, झांसी, कासगंज, महोबा, मथुरा, कानपुर, बान्दा, एटा, फर्रूखाबाद, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, ललितपुर, मैनपुरी, कन्नौज	प्रतिदिन 04:55–05:55 बजे से 14:15–15:45 बजे तक (कुल 2:30 घंटे) विद्युत कटौती।	प्रतिदिन 06:00–07:00 बजे एवं 12:45–14:15 बजे तक (कुल 2:30 घंटे) विद्युत कटौती।
ए0एल0डी0सी0 मोदीपुरम, (प0वि0वि0नि0लि0)	अमरोहा, बिजनौर, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ, रामपुर, सम्भल, मुरादाबाद	प्रतिदिन 05:00–06:30 एवं 12:45–13:45 बजे तक (कुल 2:30 घंटे) विद्युत कटौती।	प्रतिदिन 08:00–09:00 बजे 12:15–13:45 बजे तक (कुल 2:30 घंटे) विद्युत कटौती।

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी0ई0आर0सी0) नई दिल्ली के वर्तमान आदेशों एवं ग्रिड सुरक्षा के परिपेक्ष्य मे उपरोक्त आदेश सामान्य आवृत्ति की अवस्था में ही लागू होगें। विद्युत कटौती का सर्वाधिकार प्रणाली नियंत्रण के अधीन सुरक्षित रहेगा।

दोहरायें:–

1. सम्बन्धित ए0एल0डी0सी0, उनके क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पारेषण उपकेन्द्रों को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे तथा पारेषण उपकेन्द्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पारेषण को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
2. पारेषण उपकेन्द्र, उनके क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले वितरण उपकेन्द्रों को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे तथा वितरण उपकेन्द्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता वितरण को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः–प्रबन्ध निदेशक (डिस्कॉम) मेरठ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी।
निदेशक (ऑपरेशन) उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0।
निदेशक (वितरण) उ0प्र0पा0का0लि0।
मुख्य अभियन्ता, (सी0एम0यू0(डी0))/मुख्य अभियन्ता, पावर मैनेजमेन्ट सेल, उ0प्र0पा0का0लि0।

नोटः–

1. ताज ट्रिपेजियम क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले तहसील, नगर पंचायत एवं ग्रामीण स्तरीय क्षेत्रों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपदों को यू0पी0एस0एल0डी0सी0 के संदेश सं0 एस–325/मोदीपुरम दिनांक 21.11.2020 के अनुरूप विद्युत आपूर्ति देय होगी। (संदर्भ–निदेशक (वितरण) के पत्र सं0 106–पीपीएसडीडी/2019 दिनांक 05.11.2019)।
3. कृषि पोषकों को पोषित करने वाले उपकेन्द्रों को संदेश संख्या एस–40/कृषि पोषक/आपूर्ति दिनांक 05.06.2025 के अनुरूप विद्युत आपूर्ति देय होगी।

अधीक्षण अभियन्ता (प्रणाली नियन्त्रण)